रा0 / 27

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण रिपोर्ट

संस्था का नाम-नगर पालिका परिषद, तिलहर शाहजहांपुर।

अवधि--2017--18

सम्परीक्षा तिथि--आलोच्य अवधि में संस्था की सम्परीक्षा दिनांक 14.5.18को प्रारम्भ तथा दिनांक11.10.18 को समाप्त हुई। तद्नुसार अधिशासी अधिकारी से गोष्ठी की गयी।

प्रशासन--आलोच्य अवधि में संस्था का प्रशासन एवं आहरण वितरण का कार्य निम्नांकित महानुभावों में निहित था। जो संयुक्त रूप से आहरण--वितरण अधिकारी भी रहे--

क्र0	नाम अधिकारी	पदनाम	अवधि
1	श्री इमरान खां	अध्यक्ष	01.04.17 से 07.08.17 तक
2	श्री कमलदीप	लिपिक	08.08.17 से 12.11.17
3	श्रीमती हाजरा बेगम	अध्यक्ष	13.11.17 से 31.3.18
4	श्री मनोज कुमार सिंह	अधि0अधि0	01.04.17 से 20.6.17
5	श्री मंजूर अहमद खां	----"----	21.06.17 से 10.07.17
6	श्री सर्वेश कुमार कुशवाहा	----"----	11.07.17 से 31.03.18तक

प्रस्तावना--यह लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एव पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा मापदण्डों तथा उनके दिशा--निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य अधिनियम एवं स्थानीय निकायों के अधिनियम उप नियमों के अन्तर्गत तैयार की गयी है।

डिस्क्लेमर--आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये लेखा अभिलेखों / तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में निकाय द्वारा छिपाये गये किसी अभिलेखों / तथ्यों के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद का उत्तरदायित्व नही होगा।

सम्परीक्षा का स्वरूपः-- उप लेखा परीक्षा।

भाग--'क'

एक--निधियों और सम्पत्तियों की हानि और दुर्विनियोजनः--

(क)--सामान्य पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण न किये जाने से आर्थिक क्षति रू0 34.25लाख -

नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 128 में गृहकर एवं जलकर के साथ कई प्रकार के कर लगाये जाने का अधिकार नगर निकायों को दिया गया था, तथा प्रत्येक पांच वर्ष [illegible] सामान्य पंचवर्षीय कर का निर्धारण करके इन्हें लागू करने के निर्देश दिये गये थे। नगर पालिका में वर्ष 2008--09 में सामान्य पंचवर्षीय गृहकर जलकर का निर्धारण किया गया था। जो वर्ष 2012--13तक के लिए था। वर्ष 2012--13 में पुनः पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जाना चाहिए था परन्तु इसके पश्चात आलोच्य अवधि तक गृहकर का निर्धारण नहीं किया गयाथा। जबकि उक्त 10वर्षो में बहुत से नये भवनों का निर्माण हो चुका था तथा अधिकांश मकानों का विस्तार हो चुका था। फिर भी पालिका स्तर से इसके निर्धारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इससे पालिका को वृहद आर्थिक क्षति हो रही थी। इस सम्बन्ध में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अधियाचन संख्या--121दिनांक22.9.18 भी निर्गत किया गया जिस पर कोई अपेक्षित कार्यवाही नही की गई।

शासनादेश संख्या--1382 / नौ--9--97--63ज / 95 दिनांक 28अप्रैल, 1997 के द्वारा शासन ने निर्देश जारी किये थे कि सामान्य पंचवर्षीय कर निर्धारण न हो पाने की दशा में, निकाय अपनी सीमा में स्थित भवनों का वर्तमान कर का पुनर्निर्धारण इस प्रकार करें कि आवासीय भवनों का वार्षिक किराया मूल्य में 25प्रतिशत तथा व्यवसायिक भवनों के किराया मूल्य में 50प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये।

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 बरेली मण्डल, बरेली।

संख्या:- नि0प्र0/1161 दिनांक :- 08.10.2018

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद तिलहर (शाहजहाँपुर) की वर्ष 2016-17 की सम्परीक्षा इस विभाग द्वारा की जा चुकी है। संस्था पर वर्ष 2016-17 तक कुल 390 आडिट आपत्तियाँ अनुपालन के अभाव मे लम्बित हैं। आडिट आपत्तियों का विस्तृत विवरण सम्बन्धित वर्ष की सम्परीक्षा आख्या में यथास्थान अंकित है।

<u>अनुपलब्ध अभिलेख</u>

01- सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की रोकड़बही।

(पी0के0 जैन)
उप निदेशक

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद तिलहर
(शाहजहाँपुर)

कार्यालय,उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,बरेली मण्डल, बरेली।

संख्या:- नि०ले०/1465 दिनांक:- 24-2-2018

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, तिलहर जिला- शाहजहाँपुर की वर्ष 2015-16 की सम्परीक्षा की जा चुकी है। संस्था पर कुल 358 आपत्तियाँ अनुपालन के अभाव में लम्बित है। ऑडिट आपत्तियों का विस्तृत विवरण सम्परीक्षा आख्या में यथास्थान अंकित है।

(पी0 के0 जैन)
उप निदेशक

नगर पालिका परिषद तिलहर
(शाहजहाँपुर)